



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY

(वेब संग्राहक) विनियम, 2013  
(Web Aggregators) Regulations, 2013

फार्म बी  
(विनियम (4 और 5) देखें)  
FORM B  
(See Regulations 4 & 5)

लाइसेंस संख्या:

Licence No. ....16.....

लाइसेंस  
LICENCE

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा मं. ए. एण्ड ए दुकान इश्योरेंस वेब संग्राहक प्रा. लि. को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत वेब संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।

*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act 1938(4 of 1938) the Authority hereby grants a licence/ Renews the Licence to M/S. A&A. Dukaan Insurance Web Aggregator Pvt. Ltd. to act as Web Aggregator under the Act.*

2. उक्त वेब संग्राहक के लिए लाइसेंस कूट ..... है

*Licence Code for the Web Aggregator is IRDAI/WBA/31/2016.....*

3. यह लाइसेंस ..... से ..... तक वैध होगा।

*This licence shall be valid from 14-06-2016 to 13-06-2019*

4. यह लाइसेंस, बीमा अधिनियम, 1938, 1939 के बीमा नियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वेब संग्राहक) विनियम, 2013 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों और विनियम के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है

*This licence is subject to the Act, 1938 Insurance Rule of 1939, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority (Web Aggregators) Regulations, 2013 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, Rules or Regulations.*

स्थान:

Place: HYDERABAD

दिनांक:

Date: 14-06-2016

आदेशानुसार  
By Order

बीमाविनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से

*For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority*